

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजगढ़ रोडन्सी एरिया, सिविल लाइन्स काटक रोड, जयपुर।

टेलीफँस - ०१४१-२२२२४०३ ई-मेल - [dlbrajasthan@gmail.com](mailto:dlbrajasthan@gmail.com) वेब साइट - [www.lsg.urban.rajasthan.gov.in](http://www.lsg.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक - एफ 55( )Engg/CE/DLB/19/ २२१५५

दिनांक : २०/५/१९

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 20091 दिनांक 09.05.2019 द्वारा नगर पालिका रामगढ़ शेखावठी में विकास कार्यों की प्राप्त शिकायतों की जांच किये जाने हेतु श्री मुकेश गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम जयपुर के स्थान पर श्री राजीव गर्म, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर को नोडल अधिकारी लगाया जाता है। उक्त जांच टीम अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

(पदन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55( )Engg/CE/DLB/19/ २२१५५—२२१५३ दिनांक २०/५/१९  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव रवायत शासन विभाग।
3. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
4. श्री राजीव गर्म, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर को भेजकर लेख है कि सेम्पल लेते समय की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाई जावें एवं समरत तथ्यों/दस्तावेजों सहित जांच रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें। सलग्न शिकायत पत्र।
5. श्री मुकेश गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम जयपुर।
6. श्री मनोज शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, निदेशालय।
7. श्री धर्मेन्द्र जीतरवाल, कनिष्ठ अभियन्ता, निदेशालय।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रामगढ़ शेखावठी।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं इमेल करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

३१  
(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियन्ता